म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तथा
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/6498/MGNREGS-MP/NR-3/2015, भोपाल, दिनांक25/06/ 2015

प्रति,

संभागायुक्त, समस्त संभाग
कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला – समस्त म.प्र.

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा व कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अभिसरण से रेशम उपयोजना अंतर्गत शहतूत पौधों का रोपण एवं रेशम उत्पादन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश।

भारत सरकार से प्राप्त निर्देश क. F.No. 9-5/2015/GIM/MGNREGS दिनांक 03.03.2015 के द्वारा **ग्रीन इंडिया मिशन** (GIM) के तहत मनरेगा एवं जी. आई. एम. कनवर्जेन्स गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसके अंतर्गत मनरेगा में पात्र हितग्राहियों की आजीविका को उद्यानिकी, रेशम वृक्षारोपण एवं फॉर्म फोरेस्ट्री से जोड़ने हेतु निर्देश प्राप्त हुये है। इसके तहत पूरे देश में आने वाले 10 वर्षों में 50 लाख हेक्टेयर में वृक्षारोपण करके 30 लाख मनरेगा अंतर्गत पात्र परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। रेशम उपयोजना के कियान्वयन हेतु निर्देश जारी किये गये है। मनरेगा में पात्र वर्ग के हितग्राहियों की आजीविका को सुदृढ़ करने हेतु उपयोजना के कियान्वयन को गति प्रदान करने हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र कमांक 9877 दिनॉक 25.06.2007 व रेशम संचालनालय के साथ अभिसरण हेतु अपर मुख्य सचिव,म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से पत्र कमांक/933/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I /2014, भोपाल दिनांक 29.01.2014 द्वारा कनवर्जेन्स हेतु निर्देश जारी किये गये है।

भारत सरकार द्वारा रेशम उत्पादन को बढावा दिये जाने हेतु लागु सी.डी.पी. योजना चालु वित्तीय वर्ष से बंद किये जाने एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनरेगा के कियान्वयन में लाईन डिपार्टमेंट को सुविधा प्रदान करने हेतु PO Login दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त परिवर्तन के दृष्टिगत विभाग द्वारा जारी दोनों परिपत्रों में निम्नानुसार संशोधन किये जाने है।

1— उपयोजना की स्वीकृतिः—

शततूत पौध रोपण हेतु हितग्राहियों का चयन क्लस्टर के रूप में 10 किलोमीटर परिधि में न्यूनतम 25 हितग्राही होने पर योजना का कियान्वयन किया जा सकेगा। रेशम कृमिपालन तकनीकी गतिविधि है। हितग्राहियों के सतत् मार्गदर्शन हेतु प्रत्येक क्लस्टर में सर्विस प्रोवाईडर के रूप में मनरेगा योजना से (प्रत्येक 25 हितग्राही पर एक) मेट की सेवाएँ ली जा सकेगी, जिससे आपसी समन्वय व सफलता में वृद्धि होगी। इन मेटों को रेशम संचालनालय द्वारा यथोचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2— उपयोजना का कियान्वयन समयः—

हितग्राहियों के यहॉ समुचित सिंचाई व्यवस्था होने के कारण वर्ष में 2 बार पौध रोपण का कार्य कराया जावेगा, (जून—जुलाई एवं फरवरी—मार्च के माह में) इसके लिये नर्सरी में पौध उत्पादन का कार्य फरवरी—मार्च एवं जुलाई—अगस्त के माह में प्रारंभ किया जावेगा।

3— कार्य एजेंसी का निर्धारण एवं कार्यः—

रेशम उत्पादन अत्याधिक तकनीकी कार्य होने के कारण कार्य एजेंसी रेशम विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी होंगे, कार्य सुविधा के दृष्टिकोण से रेशम विभाग अनुभवी अशासकीय स्वयंसेवी संस्था अथवा स्व सहायता समूहों की सहायता शासन नियमो के अनुरूप ले सकेगी जिस हेतु उनके मध्य एक अनुबंध पत्र संस्थापित किया जावेगा। कार्य एजेन्सी रेशम विभाग को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के भांति कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य करने को (PO Login) को दिया जावेगा जिससे वह प्रदेश के मनरेगा खाते से इलेक्ट्रॉनिक फंड मेनेजमेंट सिस्टम से राशि सीधे मजदूरों के खाते में व सामग्री प्रदाय कर्ता बेन्डर के खाते में राशि का अंतरण किया जावेगा।

कार्य एजेन्सी द्वारा स्वयं जॉबकार्ड धारियों की मांग संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से प्राप्त कर ई—मस्टर जारी किये जावेंगे, मूल्यांकन कार्य रेशम विभाग के फील्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा, कार्य एजेन्सी द्वारा ई—मस्टर जारी किये जावेंगे, मूल्याकंन उपरांत ई—एम.बी. पर दर्ज करते हुये भुगतान किया जावेगा, पृथक से भी प्रत्येक हितग्राहीवार रिकार्ड का संधारण किया जावेगा। इसके साथ ही रेशम संचालनालय द्वारा हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण स्वस्थ डिम्ब समूह व चाकी की व्यवस्था तथा शत प्रतिशत ककून कय किया जायेगा। कृषकों/रेशम उद्यमियों द्वारा उत्पादित समस्त उत्पाद का कय मध्यप्रदेश सिल्क फेडरेशन द्वारा किया जावेगा।

4— उपयोजना कियान्वयन व लगाये गये पौधो की 90 प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित करनाः—

4.1— मनरेगा अभिसरण योजना में हितग्राही को मजदूरी भुगतान व सामग्री प्रदायः—

4.1.1 मनरेगा योजना में पौध रोपण उपरांत लगाये गये शहतूत पौधों का 90 प्रतिशत जीवितता होने व उसमें निदांई, गुड़ाई, सिंचाई व अन्य प्रबंधन कार्य करने पर ही डी. पी. आर. अनुसार प्रतिमाह हितग्राही अथवा उसमें कार्य करने वाले जॉबकार्ड धारियों को 1 रूपये प्रति पौधा प्रतिमाह (5600 रूपये प्रतिमाह) के हिसाब से मजदूरी के रूप में भुगतान किया जावेगा। हितग्राही वन पट्टाधारी होने पर एक वर्ष में 150 दिन एवं अन्य श्रेणीं का होने पर 100 दिन का मजदूरी भुगतान प्राप्त कर सकेगा। शहतूत पौधरोपण के रख—रखाव कार्य में हितग्राही परिवार के वयस्क

सदस्यों के अलावा अन्य श्रमिकों की आवश्यकता होने पर हितग्राही द्वारा कार्य मांग के पत्रक में उल्लेखित जॉबकार्ड धारी श्रमिकों को यथासंभव कार्य करने हेतु ई–मस्टर जारी किया जा सकेगा।

4.1.2 90 प्रतिशत से जीवितता कम होने पर आगामी माह का मजदूरी भुगतान रोक दिया जावेगा और न ही कोई सामग्री प्रदाय की जावेगी। हितग्राही द्वारा योजना में प्रावधान अनुसार अथवा स्वयं के व्यय से गेप फिलिंग करने पर ही मजदूरी भुगतान व सामग्री प्रदाय होगी।

4.1.3 यदि हितग्राही के शहतूत पौधे 90 प्रतिशत जीवित है, लेकिन यदि हितग्राही उसमें निदाई, गुड़ाई, सिंचाई व अन्य प्रबंधन कार्य नही कर रहा है, पौधों की वृद्धि ठीक से नही हो रही है, पौधे अस्वस्थ हैं, ऐसी परिस्थितियों में उस अवधि में कार्य करने वाले हितग्राही/चयनित जॉबकार्ड धारी को चेतावनी देते हुये उक्त माह का कार्य ठीक से न करने पर आधा भुगतान 0.50 रूपये प्रति पौधे के हिसाब(2800 रूपये प्रतिमाह) से दिया जावेगा, आगामी माह में चेतावनी के बाद भी यदि हितग्राही/चयनित जॉबकार्ड धारी द्वारा कार्य नही किया जाता है, तब पूर्णतः भुगतान रोक दिया जावेगा।

4.1.4 लगाये गये पौधे मृत होने पर हितग्राही द्वारा पुनः गेप फिलिंग न करने, जानबूझकर राशि का दुरूपयोग करने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम में प्रावधान धारा 92 अनुसार हितग्राही से राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

विभिन्न अंतर पर लगाये गये शहतूत पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता व लगातार प्रबंधन कार्य करने पर, प्रति पौधा प्रतिमाह किया जाने वाला भुगतानः–

क	योजना का नाम	एकड़	दूरी	कुल पौधे	प्रति भुगतान	प्रतिमाह भुगतान	माहों की संख्या	प्रदाय भुगतान	वर्ष में कुल औसत भुगतान
1	रेशम उपयोजना	1.00	3X2.6 (फीट)	5600	1.00	5600	23	128800	64400

4.2 प्रबंधन व मॉनीटरिंग हेतु उद्यानिकी/वृक्षारोपण कार्यों में ग्राम पंचायत में पूर्व से नियुक्त मेटो की सहायता प्राप्त करनाः–

रेशम कार्य क्लस्टर के रूप में लिया जाना चाहिये 25 हितग्राही एक ही ग्राम पंचायत में कार्य करने की स्थिति में ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व से चयनित/निर्मित मेटों की सेवाएँ प्रबंधन व मॉनीटरिंग कार्य हेतु ली जानी चाहिये। उक्त मेट को एक ही दिन में 40 श्रमिकों के कार्य करने पर सेमीस्किल्ड के रूप में 282 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जावेगा। 40 से कम मजदूर काम करने पर आनुपातिक भुगतान किया जावेगा। मेट का पौधों को जीवित रखने में मदद करना, मजदूरी भुगतान हेतु समय पर मस्टर प्राप्त करना उनका भुगतान सुनिश्चित करना, समय पर सामग्री उपलब्ध कराने में मदद करना, कियान्वयन एजेन्सी से सतत् संपर्क बनाये रखते हुये आने वाली किसी भी समस्या का तत्काल निदान करना होगा। पूर्व से नियुक्त मेट द्वारा दायित्यों का निर्वाहन सफलतापूर्वक न करने की स्थिति में उसे पृथक करते हुये, चयनित हितग्राहियों में से 8 वीं पास व्यक्ति को नवीन मेट के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

5– पौधे एवं अन्य आदान सामग्री की व्यवस्थाः–

5.1 मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुये शासकीय/अर्द्धशासकीय/ सहकारी संस्थाओं से एवं समय–समय पर जारी मनरेगा परिषद/रेशम संचालनालय के निर्देशों के अनुक्रम में गुणवत्तापूर्ण पौधे व अन्य आदान सामग्री की व्यवस्था कार्य

ऐजेन्सी, जिला रेशम अधिकारी की देखरेख में की जावेगी। यह अनिवार्यता ध्यान रखा जावेगा कि आवश्यक सामग्री हितग्राही को समय पर उपलब्ध करा दी जावे व समय पर ही मजदूरी भुगतान की जावे, जिसकी नियमित मॉनीटरिंग जिला रेशम अधिकारी द्वारा की जावेगी। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को लिखित में अवगत कराया जावेगा।

5.2 हितग्राही की सहमति होने की स्थिति में भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11017/17/2008–NREGA(UN)(PART-II) दिनॉक 31.07.2014 के बिंदु क्रमांक 10 (C-II) के निर्देशों के अनुक्रम में पौधे(शासकीय दरों पर) एवं अन्य आदान सामग्री की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जा सकती है। बिल प्रस्तुत करने पर मूल्यांकन व सत्यापन उपरांत राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक एकाउन्ट में बेन्डर के रूप में किया जा सकता है। पौधे एवं अन्य सामग्री की गुणवता की जवाबदारी हितग्राही की स्वयं की होगी।

6– उपयोजना में हितग्राही को प्राप्त होने वाली आयः–(उपयोजना का आउटकम)

उपयोजना के प्रावधान अनुसार अनुमानित आय प्रतिवर्ष प्रति एकड़

उत्पादित फसल का नाम	समय अवधि	स्व समूह का प्रकार	स्व समूह संख्या	ककून उत्पादन किलो में	कीमत प्रति किलो	कुल आय	रिमार्क
ग्रीष्म कालीन फसल	अप्रैल–मई	मल्टी वोल्टाइन	100	50	275	13750	शहतूत रोपण के 6–8 माह बाद कीट को खाने के लिये पत्तियॉ उपलब्ध होने लगत है, 8–9 माह मे प्रथम उत्पादन प्राप्त हो जाता है। जो क लगातार 15–20 वर्ष लिया जा सकता है।
वर्षा कालीन फसल	जून–अगस्त	मल्टी वोल्टाइन	100	50	275	13750	
शरद कालीन फसल पृथम	अक्टूबर–नवम्बर	बाइवोल्टाइन	150	75	275	20625	
शरद कालीन फसल द्वितीय	दिसम्बर–जनवरी	मल्टी/बाइवोल्टाइ	100	50	275	13750	
बसंत कालीन फसल	फरवरी–अप्रैल	बाइवोल्टाइन	150	75	275	20625	
योग			600	300		82500	

7– मॉनीटरिंग व रिपोर्टिंगः–

7.1 मूल्यांकन कर्ता जिला रेशम अधिकारी/नोडल अधिकारी, रेशम/ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा सतत रूप से मॉनीटरिंग की जावेगी, मॉनीटरिंग हेतु कंटनजेन्सी मद का उपयोग फील्ड अधिकारी के पी.ओ.एल. पर व्यय करने का अधिकार होगा, जोकि अधिकतम 500 रू प्रतिमाह/प्रति क्लस्टर होगा।

7.2– जिला स्तर पर त्रैमासिक रूप से जिला कार्यक्रय समन्यक द्वारा बैठक का आयोजन सहायक संचालक उद्यान मनरेगा/जिला रेशम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की उपस्थिती में किया जाकर उदभूत होने वाली कठिनाइयों का निराकरण कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया जावेगा।

7.3– त्रैमासिक बैठकों के अलावा एक बैठक वर्षाकाल प्रारम्भ होने के पूर्व पर्याप्त समय रहते चयनित हितग्राहियों की उपस्थिती में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाकर वार्षिक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जावे, जिसमें हितग्राहियों को पूर्ण रूपेण तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदाय किया जावेगा व टी.एस/ए.एस. की प्रति/तकनीकी साहित्य उपलब्ध कराया जायेगा।

7.4– संभागीय प्रबंधक मनरेगा द्वारा संभाग स्तर पर परियोजना अधिकारी मनरेगा एवं जिला रेशम अधिकारी/सहायक संचालक उद्यान/सहायक उद्यानिकी मनरेगा के साथ प्रत्येक माह बैठक का आयोजन किया जायेगा। संपूर्ण योजना के कियान्वयन में सतत मॉनीटरिंग करते हुये योजना की सफलता हेतु पूर्ण प्रयास किये जावेंगे।

7.5– जिला स्तर पर जिला रेशम अधिकारी एवं मनरेगा, उद्यानिकी अधिकारी के संयुक्त उपस्थिती में प्रत्येक माह अधिनस्थ कर्मचारियों/सर्विस प्रोवाइडर/ फेसलिटेटर के साथ बैठक आयोजित की जावेगी।

7.6– प्रत्येक बैठक में की गई कार्यवाही के आधार पर पालन प्रतिवेदन से स्टेट नोडल अधिकारी उद्यानिकी मनरेगा परिषद भोपाल एवं आयुक्त रेशम संचालनालय को अवगत कराया जावेगा।

7.7– योजना की सफल मॉनीटरिंग हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर, जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये जावेंगे, जिनके नाम, पद, पदस्थापना स्थल, मोबाइल नंबर से मनरेगा परिषद् भोपाल एवं रेशम संचालनालय भोपाल को अवगत कराया जावेगा।

प्रतिवर्ष राज्य स्तर से 1 प्रतिशत तक जिला पंचायत स्तर से कम से कम 10 प्रतिशत जनपद स्तर से 100 प्रतिशत कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्व कियान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु पात्र हितग्राहियों के फील्ड का भ्रमण किया जावेगा।

उपरोक्त कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिये वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु एक एकड़ क्षेत्रफल में शहतूत पौधरोपण के योजना के प्रावधान अनुसार मनरेगा के एसओआर एवं रेशम संचालनालय अनुसार आदर्श प्राक्कलन (परिशिष्ट 1) एवं मनरेगा से शहतूत पौधरोपण विकसित की जाने वाली रोपणी का आदर्श प्राक्कलन (परिशिष्ट 2) पर सलग्न है, जो कि पूर्णतः मार्गदर्शी व सांकेतिक है। प्रत्येक जिला आवश्यकतानुसार/योजना के प्रावधान अनुसार रेशम संचालनालय व मनरेगा परिषद के सहयोग से जिले की परिस्थिति अनुसार वास्तविक प्राक्कलन तैयार करा सकते है।

कृपया कार्ययोजना का क्रियान्वयन निर्धारित कैलेण्डर अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :–परिशिष्ट 1 एवं 2

(प्रवीर कृष्ण)
प्रमुख सचिव
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./6498 MGNREGS -MP/NR-3/2015

भोपाल, दिनांक 25/06/2015

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रो.गां.परिषद् भोपाल।
2. आयुक्त,रेशम संचालनालय भोपाल ।
3. स्टेट नोडल ऑफीसर वृक्षारोपण/उद्यानिकी मनरेगा परिषद् पर्यावास भवन भोपाल।
4. समस्त जिला रेशम अधिकारी जिला .....

(प्रवीर कृष्ण)
प्रमुख सचिव
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मनरेगा योजना का रेशम उपयोजना पर प्रस्तावित आकलन व्यय प्रति एकड (0.40 हेक्टे.)

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....
हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....

चयनित पौधे– शहतूत पौधों से पोधों की दूरी –3×2.5फीट, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/5600 पौधे शहतूत/मलबरी
कुल पौध संख्या– 5600

मनरेगा योजना अंतर्गत न्यूनतम लागत (Lower costs) पर रेशम उत्पादन का व्यय पत्रक

क.	कार्यकाविवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	मनरेगा		कृषकअंश	कुल योग
				लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत सामग्री	
1	लेआउट पर व्यय	157 मा0दि0	5	785	–	–	785
2	खेत की तैयारी गहरी जुताई	800 प्रति घंटा	3			2400	2400
3	गड्डा खुदाई– शहतूत रोपण हेतु 0.30×0.30× 0.30 = 0.027 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 2.0 प्रति गड्डा	5600 गड्डे	11200	–	–	11200
4	गोबर की खाद	15 रू. प्रति पौधा	400 क्यूबिक फिट	–		6000	6000
5	सिंगल सुपर फास्फेट	6.6 प्रति किलो	300 किलो	–	1980		1980
6	म्यूरेट आफ पोटास	17.8 प्रति किलो	100 किलो	–	1780		1780
7	डीएपी	25 प्रति किलो	50 किलो	–	1250		1250
8	माइकोन्यूटेन्ट जिंक हाई	10 प्रति किलो	5 किलो		500		500
9	यूरिया (प्रत्येक 3 माह में गुड़ाई के बाद)	6 प्रति किलो	200 किलो			1200	1200
10	थीमेट, फोरेट, दीमक दवॉ	80 प्रति किलो	80 किलो	–	640		640
11	हेंडस्प्रे पंप कय	1200	1			1200	1200
12	पौधों की कीमत शहतूत पौधे (10 प्रतिशत गेप फिलिंग सहित) 9 से 12 इंच उंचाई के (मनरेगा रोपणी से 3 रू प्रति पौधा)	3.5 प्रति पौधा परिवहन सहित	6160 पौधे		21560		21560
13	खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फिलिंग	2 प्रति पौधा	11200	11200			11200
14	पौध संरक्षण दवायें	2000 प्रति एकड़	1	–	1000	1000	2000
15	सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिड़काव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना, कटाई छटाई, टॉपड्रेसिंग में खाद देना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौधरोपण उपरांत 1 रू प्रति पौधा प्रतिमाह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिति में	157 प्रतिदिन	392 श्रमिक 11 माह में (5600 रू प्रति माह)	61600	–		61600

16	सिकेटियर	300 प्रति नग	1		300		300
17	रेयरिंग हाउस हेतु लोहे के पाइप 3 इंची 100 फिट	100 किलो	45		4500		4500
18	शेड हेतु लोहे के टीन/सीमेंट शीट 4X12 फिट	20 नग	1350		27000		27000
19	लोहे के पाइप 2.5 इंची 100 फिट	100 किलो	45		4500		4500
20	चॅद्रिका प्लास्टिक उपकरण	250	55		13750		13750
21	शूट कृमिपालन रेक्स हेतु बल्लीयॉ	480 फिट	25		12000		12000
22	ग्रीननेट 12 फिट चौड़ाई वाली	100 फिट	35		3500		3500
23	योग			**84785**	**94260**	**11800**	**190845**
24	द्वितीय वर्ष में कुल व्यय						
25	20 प्रतिशत गेप फीलिंग (मनरेगा रोपणी से)	3 प्रति पौधा परिवहन सहित	1120	–		3360	3360
26	गोबर की खाद अथवा बर्मी कम्पोस्ट	200 क्यूबिक फिट	15			3000	3000
27	डीएपी	25 प्रति किलो	100 किलो			2500	2500
28	एमओपी	17.8 प्रति किलो	50 किलो	–		890	890
29	यूरिया	6 प्रति किलो	200 किलो			1200	1200
30	माइक्रोन्यूटेन्ट जिंक हाई	10 प्रति किलो	5 किलो			500	500
31	पौध संरक्षण पर व्यय	2000 प्रति एकड़	1	–		2000	2000
32	सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिड़काव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना, कटाई छटाई, टॉप ड्रेसिंग में खाद देना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु पौधरोपण उपरांत 1 रू प्रति पौधा प्रतिमाह 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने की स्थिति में	157 प्रति दिन	428 श्रमिक 12 माह में (5600 रू प्रति माह)	67200	–		67200
33	योग			**67200**		**13450**	**80650**
	महायोग			**151985**	**94260**	**25250**	**271495**

(मनरेगा योजना से अस्थायी व्यवस्था की गयी है, रोपण के 8 माह बाद आय प्राप्त होने की स्थिति में हितग्राही स्वयं अपने व्यय से अथवा रेशम विभाग से राशि प्राप्त होने पर स्थायी रूप से रेयरिंग हाउस, माउटेन हॉल इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है।)

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय – **151985** (योजना का 59.58 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय – **94260** (योजना का 37.00 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत – **8800** (योजना का 3.500 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय – **255055**

मॉडल प्राक्कलन रेशम उपयोजना अंतर्गत प्रस्तावित शहतूत नर्सरी, रोपणी विकसित हेतु प्रस्तावित व्यय प्रति एकड़ 100000 पौध उत्पादन व्यय पत्रक

कार्य योजना का नाम का नाम –रेशम पौधरोपण हेतु पौध उत्पादन कार्य

ग्राम पंचायत का नाम–.....

पौध उत्पादनकर्ता संस्था/हितग्राही का नाम .....

प्रस्तावित खसरा नंबर..... रकवा .....

कुल पौध उत्पादन संख्या लक्ष्य–100000

100000 पौधों के उत्पादन हेतु 180000 कलमे लगाया जाना प्रस्तावित

(प्रति एकड़ 6–8 माह उम्र की कटिंग तैयारी पर 2–2.5 फिट उंचाई के पौधे तैयार करने पर व्यय)

क.	कार्यकाविवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी (रू)	लागत सामग्री (रू)	योग (रू)	रिमार्क
1	जमीन की गहरी जुताई	800	4 घंटे		3200	3200	
2	गोबर की खाद कय	15	500 क्यू.फिट		7500	7500	
3	रेत का कय	10	500 क्यू.फिट		5000	5000	
4	सिंगल सुपर फास्फेट	6.6 रू0 प्रतिकिलो	200 किलो	–	1320	1320	
5	म्यूरेट आफ पोटाश	17.80 रू0 प्रतिकिलो	50 किलो	–	890	890	
6	यूरिया(प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर 3 बार में)	6 रू0 प्रतिकिलो	100 किलो	–	600	600	
5	नर्सरी बेड तैयार करना एवं खाद मिलाना	157	108 श्रमिक	16956		16956	
7	रॉ मटेरियल कटिंग कय पर व्यय	2000	6 मेट्रिक टन		12000	12000	
8	रॉ मटेरियल कटिंग परिवहन पर व्यय	3000 रूपये	6 मेट्रिक टन		18000	18000	
9	कटिंग रूटिंग हेतु रूटेक्स/सेरेडेक्स	500 रू किलो	4 किलो		2000	2000	
	क्लोरोपायरीफास	214 प्रतिलीटर	5 लीटर	–	1070	1070	
	बाबिस्टीन	391 प्रतिकिलो	2 किलो	–	782	782	
12	रिडोमिल	1500 रू किलो	1.0 किलो	–	1500	1500	
13	कटिंग की तैयारी	157 प्रतिदिन	65 श्रमिक	10205		10205	
14	बेड में कलम लगाना	157	110 श्रमिक	17270		17270	

15	3 निंदाई तथा गुड़ाई, मिट्टी चढाई (प्रति निंदाई गुड़ाई 70 श्रमिक प्रति एकड़ के हिसाब से मय कटिंग व खाद डालना)	157	210 श्रमिक	32970		32970	
16	सिचाई पर व्यय (माह में 4 बार)	157	30 श्रमिक	4710		4710	
17	मलबरी कलमों को उखाड़ना एवं टॉट से पेकिंग करना व लोडिंग	157	150 श्रमिक	23550		23550	
19	पेकिंग हेतु पुराने टॉट/बोरे का कय	20	50 नग		1000	1000	
20	सुतली का कय	100	2 किलो		200	200	
21	स्प्रेयर पंप	1200	1 नग	–	1200	1200	
22	सिकेटियर	300	1 नग		300	300	
23	सिचाई हेतु बिजली बिल/डीजल पर व्यय	500 प्रतिमाह	8 माह		4000	4000	
	योग			**105661**	**60562**	**166223**	

मजदूरी पर व्यय – **105661** (योजना का 61.30 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय – **60562** (योजना का 35.20 प्रतिशत)
कन्टनजेंसी व्यय – **5950** (योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार
कुल व्यय – **172173**

(प्रति पौधा 1.69 रू व्यय प्रस्तावित)

मनरेगा रोपणी से स्वसहायता समूह पात्र हितग्राहियों अथवा शासकीय रोपणीं को प्राप्त आय

वर्ष	प्रति पौधा व्यय	उत्पादित पौधे	मनरेगा में प्रदाय अथवा विक्रय योग्य पौधे	विक्रय पौधे की शासकीय दरे	विकय से प्राप्त कुल आय	पौध उत्पादन में व्यय	शेष प्रदाय राशि पौध प्रदायगी पर	शुद्ध लाभ	रिमार्क
6–8 माह (2–2.5 फीट)	1.72	100000	100000	3	300000	172173	1.27	127827	8 माह में प्राप्त

परिशिष्ट–अ

वर्ष 2015–16 हेतु रेशम विभाग से अभिसरण रेशम पौध रोपण वार्षिक कैलेण्डर

क्र	गतिविधियों का विवरण	अवधि कब तक	जिम्मेदार एजेंसी
1	**क्लस्टर एवं हितग्राहियों का चयन**		
1.1	ग्राम पंचायत/क्लस्टर क्षेत्र का चयन करना	जून–जुलाई 2015	रेशम विभाग/मनरेगा/जि.पं.
1.2	हितग्राही चयन,एस.ओ.पी. में शामिल करना, प्रजातियों का चयन, आवेदन प्राप्त करना, तकनीकी स्वीकृति व प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना।	जून–जुलाई 2015	फील्ड अधिकारी रेशम विभाग/स्वयंसेवी संस्था/मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत/कलेक्टर
2	**नर्सरी स्थापना पौध उत्पादन संबंधी कार्य**		
2.1	हितग्राही/स्वासहायता समूह/उद्यान विभाग द्वारा नर्सरी की तैयारी, नर्सरी स्थल का चयन, पानी की व्यवस्था, नर्सरी का निर्माण व अन्य सामग्री की व्यवस्था डीपीआर अनुसार, फेंसिंग व कार्य प्रारंभ	जून–जुलाई 2015	चयनित एसएचजी/ हितग्राही फील्ड अधिकारी रेशम विभाग/ स्वयंसेवी संस्था स.सं.मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत
2.2	नर्सरी में पॉलिथिन बैगों की भराई व सीधे बीज बुवाई सुनिश्चित करना,	जून–जुलाई 2015	चयनित एसएचजी/ हितग्राही फील्ड अधिकारी रेशम विभाग/ स्वयंसेवी संस्था/स.सं.मनरेगा /मु.का.जिला पंचायत
2.3	नर्सरी में निदांई गुडाई, सफाई, नियमित सिंचाई व अन्य प्रबंधन कार्य	अगस्त से जनवरी तक 2016	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ स्वयंसेवी संस्था /रेशम विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
2.4	छोटी पोलेथिन बैग से बड़े पोलेथिन बैग में पौधों का हस्तांतरण करना व निदांई, गुडाई, सफाई, सिंचाई, छाया व अन्य प्रबंधन कार्य। (ब) रोड साईड वृक्षारोपण स्थल कार्य – सर्वे, स्थल की सफाई, कीटनाशन दवाओं का क्रय	फरवरी–मॉर्च 2016	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ स्वयंसेवी संस्था /रेशम विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी

2.5	पोलेथिन बेग की सिफटिंग, बडी पोलेथिन में स्थानांतरण, निदांई, गुडाई, खाद, उर्वरक प्रदाय, दवा का छिडकाव,कटिंग–छटिंग, पौधों को सहारादेना, सफाई, सिंचाई, छाया व अन्य समस्त प्रबंधन	अप्रैल से जून ' 2016	चयनित एसएचजी / हितग्राही / स्वयंसेवी संस्था /रेशम विभाग /मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3	**वृक्षारोपण कार्य**		
3.1	गड्डो की खुदाई / खेत की तैयारी	जून–जुलाई 2015	हितग्राही / रेशम अधिकारी / स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.2	गड्डो की खुदाई गड्डो में दवा का प्रयोग एवं फेंसिग व्यवस्था हेतु लोकल ईको फ्रेंडली सामग्री की व्यवस्था।	जून–जुलाई 2015	हितग्राही / रेशम अधिकारी / स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.3	गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक का क्रय	जून–जुलाई 2015	हितग्राही / रेशम अधिकारी / स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.4	गड्डो की भराई एवं हितग्राहियों / अधिकारियों का प्रशिक्षण	जून–जुलाई 2015	हितग्राही / रेशम अधिकारी / स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.5	पौधों का परिवहन एवं प्रत्यारोपण व फेंसिं निदांई गुडाई, सिंचाई व्यवस्था।	जून 2015 जुलाई 2015 अगस्त 2015	हितग्राही / रेशम अधिकारी / स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
4	**संधारण कार्य हितग्राही द्वारा**		
4.1	पौधरोपण उपरांत सिंचाई, निंदाई–गुड़ाई, थाला निर्माण, मिट्टी चढ़ाना	अगस्त–सितम्बर	हितग्राही / रेशम अधिकारी / स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
4.2	लगाये गए पौधों की सुरक्षा, निंदाई, गुंडाई, थाला बनाना, सहारा देना, दवाई, उर्वरक देना, कंटाई छंटाई, फेंसिग, सिंचाई सहित समस्त प्रबंधन कार्य।	अक्टूबर–जून	हितग्राही / रेशम अधिकारी / स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी

परिशिष्ट–ब

उद्यानिकी विभाग से अभिसरण फल पौध रोपण वार्षिक कैलेंडर 2016–17 हेतु

क्र	गतिविधियों का विवरण	अवधि कब तक	जिम्मेदार एजेंसी
1	**क्लस्टर एवं हितग्राहियों का चयन**		
1.1	ग्राम पंचायत/क्लस्टर क्षेत्र का चयन करन	सितम्बर	रेशम विभाग/मनरेगा/जि.पं.
1.2	हितग्राही चयन,एस.ओ.पी. में शामिल करना, प्रजातियों का चयन, आवेदन प्राप्त करना, तकनीकी स्वीकृति व प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना।	अक्टूबर	ग्राम पंचायत/ फील्ड अधिकारी रेशम विभाग/स्वयंसेवी संस्था/मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत/कलेक्टर
1.3	चयन अनुसार वृक्षारोपण कार्य को ग्राम पंचायत के एसओपी में शामिल किया जाना।	अक्टूबर–नवम्बर	ग्रा.पं./जं.पं./जि.पं.
2	**नर्सरी स्थापना पौध उत्पादन संबंधी कार्य**		
2.1	स्वसहायता समूह द्वारा नर्सरी की तैयारी, नर्सरी का चयन, पानी की व्यवस्था, नर्सरी शेड का निर्माण व अन्य सामग्री की व्यवस्था डीपीआर अनुसार, फेंसिंग व कार्य प्रारंभ	नवम्बर	चयनित एसएचजी/ हितग्राही फील्ड अधिकारी रेशम विभाग/ स्वयंसेवी संस्था स.सं.मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत
2.2	नर्सरी में पॉलिथिन बैगों की भराई	दिसम्बर– जनवरी	चयनित एसएचजी/ हितग्राही फील्ड अधिकारी रेशम विभाग/ स्वयंसेवी संस्था/स.सं.मनरेगा /मु.का.जिला
2.3	पॉलिथिन बैग में बीज बुवाई सुनिश्चित करना,	फरवरी–मार्च	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ स्वयंसेवी संस्था /रेशम विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
2.4	नर्सरी में निदांई गुडाई, सफाई, नियमित सिंचा अन्य प्रबंधन कार्य	मार्च–अप्रैल–मई	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ स्वयंसेवी संस्था /रेशम विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
2.5	छोटी पोलेथिन बैग से बड़े पोलेथिन बैग में पौधों का हस्तांतरण करना व निदांई, गुडाई, सफाई, सिंचाई, छाया व अन्य प्रबंधन कार्य। (ब) रोड साईड वृक्षारोपण स्थल कार्य – सर्वे, की सफाई, कीटनाशन दवाओं का क्रय	जून–जुलाई –अगस्त	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ स्वयंसेवी संस्था /रेशम विभाग /मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी

2.6	पोलेथिन बेग की सिफटिंग, बडी पोलेथिन बैग में स्थानांतरण, निदांई, गुडाई, खाद, उर्वरक प्रदाय, दवा का छिडकाव, कटिंग–छटिंग, पौधों को सहारा देना, सफाई, सिंचाई, छाया व समस्त प्रबंधन कार्य।	सितम्बर से जून	चयनित एसएचजी / हितग्राही / स्वयंसेवी संस्था /रेशम विभाग /मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3	**वृक्षारोपण कार्य**		
3.1	गड्डो की खुदाई	फरवरी	हितग्राही / रेशम अधिकारी /स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.2	गड्डो की खुदाई गड्डो में दवा का प्रयोग एवं फेंसिग व्यवस्था हेतु लोकल ईको फ्रेडली सामग्री की व्यवस्था।	मार्च	हितग्राही / रेशम अधिकारी /स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.3	गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक का क्रय	अप्रैल	हितग्राही / रेशम अधिकारी /स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी
3.4	गड्डो की भराई एवं हितग्राहियों / अधिकारियों का प्रशिक्षण	मई	हितग्राही / रेशम अधिकारी /स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी
3.5	पौधों का परिवहन एवं प्रत्यारोपण व फेंसिग, निदांई गुडाई, सिंचाई व्यवस्था।	जून जुलाई अगस्त	हितग्राही / रेशम अधिकारी /स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
4	**संधारण कार्य हितग्राही द्वारा**		
4.1	पौधरोपण उपरांत सिंचाई, निंदाई–गुड़ाई, थाला निर्माण, मिट्टी चढ़ाना	अगस्त–सितम्बर	हितग्राही / रेशम अधिकारी /स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
4.2	लगाये गए पौधों की सुरक्षा, निंदाई, गुंडाई, थाला बनाना, सहारा देना, दवाई, खाद उर्वरक कंटाई छंटाई, फेंसिग, सिंचाई सहित समस्त प्रबंधन कार्य।	अक्टूबर–जून	हितग्राही / रेशम अधिकारी /स्वयंसेवी संस्था / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी

योजना की कियान्वयन प्रकिया

क्रम बद्ध चरण	गतिविधी	जिम्मेदारी
1.	हितग्राहियों का चयन एवं अनुशंसा	कियान्वयन विभाग
2.	ग्राम सभा का प्रस्ताव एवं एसओपी नंबर	ग्राम पंचायत सरपंच सचिव, जनपद सी ओ, परियोजना अधिकारी मनरेगा, सहायक उद्यानिकी मनरेगा एवं कियान्वयन विभाग
3.	डिटेल प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	जिला, उद्यान, रेशम एवं उद्यानिकी सहायक मनरेगा
4.	तकनीकी स्वीकृति जारी करना	जिला उद्यान/रेशम/वन अधिकारी
5.	प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना	परियोजना अधिकारी मनरेगा, सहायक संचालक मनरेगा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक से जारी करायी जावेगी
6.	डीपीआर फ्रीजिंग कराना	सीनियर डाटा मैनेजर, परियोजना अधिकारी मनरेगा एवं जिला उद्यान, रेशम, वन अधिकारी
7.	जॉबकार्डधारियों/हितग्राहियों से कार्य की मॉग लेना	रोजगार सहायक/मेट के माध्यम से फील्ड अधिकारी द्वारा
8.	मस्टर रोल इशु करना एवं कार्य प्रारंभ कराना	जिला उद्यान, रेशम, वन अधिकारी
9.	डीपीआर अनुसार सामग्री क्रय करना	जिला उद्यान, रेशम, वन अधिकारी
10.	मूल्यांकन एवं सत्यापन	कियान्वयन विभाग
11.	भुगतान	कियान्वयन विभाग
12.	समस्त प्रबंधन कार्य	कियान्वयन विभाग
	कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी करना	जिला उद्यान, रेशम, वन अधिकारी

नोटः– कियान्वयन एजेन्सी, जिला उद्यान, रेशम, वन अधिकारी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की भांति पी.ओ. लॉग इन अधिकार प्राप्त होंगे, जिससे वह सीधे पासवर्ड के माध्यम से राज्य स्तर पर स्थित बैंक खाते से मजदूरों व सामग्री प्रदाय कर्ता(बेन्डर) के खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे।

''रेशम उपयोजना'' के अंतर्गत शहतूत पौधरोपण हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

प्रति,

उप/सहायक संचालक रेशम
जिला .....

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म.प्र. के अंतर्गत ''रेशम'' उपयोजना हेतु प्रस्ताव।

मैं रेशम उपयोजना के अंतर्गत अपनी निजी भूमि पर शहतूत प्रजाति का वृक्षारोपण कर रेशम उद्यान विकसित करवाना चाहता हूँ। मेरी भूमि के खसरा के प्रति/भू–अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग – 1 अथवा खसरा की प्रतिलिपि संलग्न है। अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

1. हितग्राही का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. ग्राम : .....
4. वर्ग SC/ST/BPL/IAY/ रू .....
   भूमि सुधार हितग्राही/लघु कृषक/सीमांत कृषक/वनवासी पटटेधारी
   (प्रमाणीकरण की छायाप्रति संलग्न करें)
5. बी पी एल क्रमांक रू .....
6. धारित कुल भूमि का रकबा : .....हैक्टेयर
7. प्रस्तावित भूमि का रकबा : .....हैक्टेयर
   जिस पर रेशम उत्पादन विकसित
   किया जावेगा।
8. खसरा नंबर : .....जिसमें उक्त रेशम
   विकास का कार्य प्रस्तावित है।
9. भूमि का प्रकार हल्की/मध्यम/भारी रू .....
   (चयनित भूमि में पानी का निकास उत्तम है हॉ/नहीं)
10. प्रस्तावित प्रजातियों का विवरण व संख्या .....
11. हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचाई स्त्रोत.....
12. सिंचाई स्त्रोत से चयनित स्थल की दूरी .....
13. सिंचाई स्त्रोत पर पंप की उपलब्धता विद्युत/डीजल/जनरेटरसैट .....
14. सिंचाई स्त्रोत में पानी की वर्षभर उपलब्धता हॉ/नहीं .....
15. हितग्राही/कार्य एजेन्सी के साथ निष्पादित अनुबंध की प्रति संलग्न – हॉ/नहीं.....

हितग्राही के हस्ताक्षर व नाम

// शपथ पत्र //

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि, रेशम उपयोजना के तहत निष्पादित अनुबंध अनुसार सभी शर्तों का पालन करते हुए लगाये गये सभी पौधों की देखभाल व सुरक्षा करते हुए 90 प्रतिशत पौधे जीवित रखूँगा, एवं जानबूझकर लगाये गये पौधों को नष्ट नहीं करूँगा यदि मै जानबूझकर लगाये गये पौधों को हानि पहुँचाता हूँ तो शासन को मेरी चल/अचल सम्पत्ति से हानि की राशि वसूली करने का अधिकार होगा।

हितग्राही का नाम व हस्ताक्षर

अनुलग्नक–3

कार्यालय ग्राम पंचायत..... जनपद..... जिला.....

ग्राम सभा का प्रस्ताव

दिनॉक.....को आयोजित ग्राम सभा में ग्राम पंचायत में निवास करने वाले निम्नानुसार हितग्राहियों के आवेदन रेशम विभाग के माध्यम से शहतूत पौधरोपण, रेशम उत्पादन हेतु प्रस्तुत किये गये।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

उक्त हितग्राहियों के निजी भूमि पर रेशम के पौधे लगाये जाने पर उनकी स्थायी आय के स्रोत बनेगे, पंचायत क्षेत्र का पर्यावरण संरक्षण होगा, साथ ही जॉबकार्ड धारियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की जाती है, एवं ग्राम पंचायत के सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में जोड़े जाने का निर्णय लिया जाता है। हितग्राहीवार क्रमशः एसओपी नंबर 1..... 2.....3.....4.....5.....है।

उपरोक्तानुसार उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पारित करते हुये कार्य एजेन्सी को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदाय करने एवं कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

रोजगार सहायक	सचिव	सरपंच
ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत .....

अनुलग्नक–4

तकनीकी प्रतिवेदन

1	हितग्राही का नाम	
2	कार्य का नाम	रेशम उत्पादन
3	ग्रम का नाम	
4	ग्राम पंचायत का नाम	
5	क्रियान्वयन एजेन्सी	रेशम विभाग(जिला रेशम अधिकारी)
6	स्वीकृति का वर्ष	
7	मद	एन.आर.ई.जी.एस.
8	अनुमानित लागत	
9	तकनीकी अधिकार	जिला रेशम अधिकारी रेशम संचालनालय
10	प्रशासकीय अधिकार	जिला कार्यक्रम समन्वयक
11	दर	जिला दर निर्धारण समीति/एमपीएग्रो /एलयूएन/विभाग द्वारा स्वीकृत दरें एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की एसओआर दरें
12	आवश्यक्ता	रेशम विकसित कर पर्यावरण संरक्षण, हितग्राही की आय में वृद्वि एवं जॉबकार्डधारियों को रोजगार उपलब्ध कराना।
13	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुक्रलग्नक 4 संलग्न है।

रेशम फील्ड अधिकारी
जनपद– .....

जिला रेशम अधिकारी
जिला – .....

अनुलग्नक–5

कार्यालय जिला रेशम अधिकारी, रेशम विभाग जिला.....

हितग्राही का नाम – ..... जनपद का नाम – .....

प्रस्तावित कार्य का नाम – ..... जॉबकार्ड का नंबर– .....

ग्राम पंचायत का नाम –..... हितग्राही का खाता क्रमांक.....

प्रमाणीकरण

1. कार्य पूर्णतः नवीन है।
2. प्रस्तावित कार्य पूर्णतः हितग्राही मूलक एवं जनहित में आवश्यक है।
3. प्रस्तावित कार्य पूर्णतः निजी जमीन पर प्रस्तावित है।
4. प्रस्तावित कार्य ग्राम पंचायत के प्रोस्पेक्टिव प्लान एसओपी में शामिल है, जिसका एसओपी नंबर.....है।
5. प्रस्तावित कार्य राष्ट्रीय गारण्टी योजना में निहित दिशा निर्देशों के तहत संपादित कराया जावेगा एवं मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन किया जावेगा।
6. कार्य एजेन्सी प्रमाणित करती है कि, हितग्राही के पास उपलब्ध भू ऋण पुस्तिका के आधार पर कुल रकवा ..... हे. भू स्वामित्व है साथ ही स्वयं का सिंचाई साधन कूप /ट्यूबेल उपलब्ध है एवं हितग्रही प्रस्तावित योजना में पात्रता रखता है तकनीकी स्वीकृति प्रदाय हेतु प्रमाण पत्र लेख किया गया है।
7. कार्य एजेन्सी द्वारा पटवारी से हितग्राही मूलक के भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रमाणित करा लिये गये है।

उपरोक्त वर्णित बिन्दु प्रस्तावित कार्य हेतु पूर्णतः जॉच परख लिये है एवं सत्य है व अनुबंध अनुसार सभी शर्तो का पालन करने को हितग्राही एवं कार्य एजेन्सी सहमत हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं की जानकारी भ्रामक एवं असत्य होने पर में श्री ..... ग्रामीण रेशम विकास अधिकारी एवं श्री..... सचिव ग्राम पंचायत व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

रेशम फील्ड अधिकारी
जनपद– .....

जिला रेशम अधिकारी
जिला – .....

अनुलग्नक – 6

आयोजना के विभिन्न घटको ं के निर्धारण व आकलन के आधार पर सहयोग दल द्वारा की जाने वाली अनुशंसा के प्रपत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला रेशम अधिकारी जिला– .....

विषय – ''रेशम'' उपयोजना के अंतर्गत हितग्राही द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुकम में आयोजना के विभिन्न घटकों के निर्धारण व आकलन की अनुशंसा।

रेशम उपयोजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुंत प्रस्ताव का परीक्षण हितग्राही के साथ दिनांक..... को क्षेत्र भ्रमण कर लिया गया। इस परीक्षण के आधार पर निम्नानुसार उल्लेखित हितग्राही हेतु रेशम उपयोजना का कार्य लिये जाने के लिए आयोजना के विभिन्न घटकों के निर्धारण की निम्नानुसार अनुशंसा की जाती है।

गतिविधि का स्वरूप – एकल गतिविधि /सामूहिक गतिविधि (जो उपयुक्त हो उसे सही करे)

क.	भू स्वामी हितग्राही/हितग्राहियों के नाम तथा पिता/पति का नाम	ग्राम एवं ग्राम पंचायत का नाम	हितग्राही के पास उपलब्ध कुल भूमि खसरा नंबर/ हेक्टेयर	रेशम हेतु निर्धारित भूमि का खसरा नं/हेक्टेयर	रेशम हेतु निर्धारित भूमि का वर्तमान भूमि उपयोग (कृषि/अन्य/पडत)	क्या यह निर्धारित भूमि रेशम वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है। (हॉ/नहीं)	निर्धारित वृक्षारोपण पद्धति	ली जाने वाली प्रजातियॉ	ली जाने वाली प्रजातियों की पौधावार संख्या	ली जाने वाली अंतरवर्तीय फसले	हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचाई स्त्रोत व सुविधा	उपलब्ध सिंचाई स्त्रोत से क्या प्रस्तावित रेशम की पर्याप्त सिचाई हो सकेगी (हां/नहीं)

उपरोक्तानुसार चयनित भूमि पर्याप्त जल निकास वाली व रेशम हेतु उपयुक्त है अतः प्रकरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

पटवारी का पूरा नाम व हस्ताक्षर
दिनांक .....

रेशम फील्ड अधिकारी
जनपद– .....
दिनांक .....

अनुलग्नक–7

प्रमाण पत्र

(लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु 10 रू. के शपथ पत्र पर)

मैं ..... पिता.श्री..... ग्रम.....का निवासी हूॅ। शपथ पूर्वक कथन करता हूॅ कि मेरे पास भारत में स्थित सभी स्थलों पर मिलाकर खसरा नंबर .... रकवा.....अनुसार कुल रकवा..... .....हेक्ट. भूमि स्वामित्व में है।

मै शपथ पूर्वक कथन करता हूॅ कि, मेरे पास सभी स्थलों पर मिलाकर जो भी भूमि स्वामित्व में है उस आधार पर मै लघु/सीमान्त कृषकों की श्रेणी में आता हूॅ।

हस्ताक्षर

हितग्राही का नाम.....

सत्यापन –

सत्यापित किया जाता है कि, कृषक श्री..... पिता.श्री.....निवासी... ..... ग्रम..... के पास खसरा नंबर ..... कुल रकवा..... हेक्ट. भूमि का भू स्वामित्व रखते है एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार लघु/सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते है।

हस्ताक्षर

पटवारी.....

हल्का नंबर.....